



Gurgaon, Haryana 011-66552064

SUPRANEET FINANCE AND CONSULTANTS LIMITED

Regd. Office: C-55/2, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110 052
 Ph: 011-42952500, Fax: 011-27377373
 E-Mail: info@sfclindia.com
 Website: www.sfclindia.com
 CIN : L65921DL1989PLC035261

NOTICE

Notice is hereby given that, pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations) that a meeting of the Board of Directors of the company will be held on **Wednesday, the 14th August, 2019 at 3:00 p.m.** at Regd. Office of the company, *inter-alia*, to consider & approve the unaudited Quarterly Financial Results for the First Quarter ended 30th June, 2019 and any other matter with the permission of chair. It is further notified in pursuance of Regulation 47(2) of the Listing Regulations that the further details may be accessed on the Company's website (www.sfclindia.com) and may also be accessed on website of Metropolitan Stock Exchange (www.mseil.in). Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the "Trading Window" for dealing in shares of the Company shall remain closed from 1st July, 2019 to 16th August, 2019 (both days inclusive), accordingly the "Trading Window" will be opened on 17th August, 2019.

For Supraneet Finance & Consultants Ltd.
 Sd/-
 (Deepthi Jain)
 Place : Delhi
 Date : 06.08.2019 Company Secretary

States should have been consulted and taken into confidence before taking such a huge step.

Banerjee who on Tuesday left for Chennai where she would unveil the statue of late DMK patriarch M Karunanidhi told reporters at Kolkata's Netaji Subhas Chandra Bose International Airport that "the way the issue was handled was deplorable" and the people and political parties of Jammu & Kashmir should have been, consulted and taken into confidence before such decision." This decision was not democratic and "procedural, and technical issues were involved in it," she said.

Saying that her party would never accept the Jammu & Kashmir Reorganisation Bill proposing to bifurcate the State into two Union Territories,

adding "the people of Kashmir are also our brothers and sisters, our own citizens ... they should have been dealt with delicately."

A day after Union Home Minister Amit Shah moved a resolution in the Lok Sabha for bringing a bill to reorganise the State of Jammu & Kashmir into two Union Territories — Jammu & Kashmir, and Ladakh Banerjee on Tuesday broke her studied silence saying her party had staged a walk-out from the Rajya Sabha during the voting to mean that "we are not supporting the bill. This does not mean that we have supported the bill."

Lambasting the Centre for putting senior politicians of the Valley under house arrest Banerjee said she had no idea of their whereabouts.



Passengers traveling from Srinagar on the



हरियाणा सरकार

TENDER NOTICE


| Sr. No. | NAME OF BOARD CORP / AUTH. | NAME OF WORK (NOTICE TENDER) | OPENING DATE (TIME) | AMOUNT / END (APPROX.) IN FLUPEES | WEBSITE OF THE BOARD CORP / AUTH. | NO. OF OFFICE CONTACT DETAILS EMAIL |
|---------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | GWA | DISPOSAL OF SEWAGE WASTE WATER OF VILLAGE MADHANA, BELLAHANA & NARA BANGHAR NEARBY MASTER SEWER LINE OUTDROPPH PROV. AND LAYING OF 300MM I/D RCC RD PIPE & CONNECTION OF LINE'S TO EXISTING MAINS IN GWA STATION MASTER SEWER LINE | 05.08.2019 16.08.2019 | 22.15 LACS | http://www.haryana.gov.in es.10 | www.haryana.gov.in |
| 2 | GWA | SUPPLEMENT OF EXISTING MAINS WITH IDEA FOR THE PURPOSE OF PLANNING, DESIGNING AND SUBMISSION OF DPR W.A.T INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (E WATER SUPPLY, STORM WATER DRAINAGE WORKS ETC) | 05.08.2019 22.08.2019 | 8M0-10000 | www.haryana.gov.in es.10 | 011-27377373 www.haryana.gov.in |
| 3 | HSP RCHAL | PROVIDING AND RIGGING OF BRAN TRUCK INTERLOCKING TILES IN GAP BETWEEN BRICK OVEN AND BLACK TOP OF FIELDS IN SECTOR ALERT, J. RCHAL AND ALL OTHER WORKS CONTINGENT THEREOF. | CLOSING 13.08.2019 | 20000 | www.haryana.gov.in | 011-27377373 www.haryana.gov.in |
| 4 | HAFED | E TENDER NOTICE FOR INT CONTRACT FOR PACKING MATERIALS FOR THE YEAR 2019-20 FOR HAFED PERIODSERS PLANT, TARNOR, HAFED RICE MILL, TARNOR AND HAFED RICE MILL, TARNOR | 06.08.2019 17.08.2019 | MENTIONED IN DOCUMENTS | www.haryana.gov.in | 011-27377373 www.haryana.gov.in |

FOR FURTHER INFORMATION KINDLY VISIT : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

NCP's A

Pune: Senior NCP on Tuesday pra abolishing Artic Kashmir, and a towards reclaim pted Kashmir (He said its ro integrate the co Yesterday

यों को सुधारा जा रहा है : नामज़ाल



भाजपा सांसद जामयांग शेरिंग नामज़ाल लोकसभा को संबोधित (छाया : एनआई)

सिंह, महिला और बाल की स्मृति ईरानी समेत कई त्रियों और सत्ता पक्ष के अनेक बार मेज़े थपथपाते गया। लदाख के सांसद ने आज का दिन इतिहास में

प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा की गयी गलतियों को सुधार करने के तौर पर दर्ज किया जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और लदाख को अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाये जाने के केंद्र

के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इसकी मांग दशकों से हो रही थी और सभी धर्मों, वर्गों के लोग इसकी मांग करते रहे लेकिन कांग्रेस ने इस पर सुनवाई नहीं की। नामज़ाल ने कहा, लदाख ने 71 साल तक केंद्रशासित प्रदेश बनने के लिए संघर्ष किया। हम हमेशा से भारत का अटूट अंग बनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि लदाख की भाषा, संस्कृति अगर लुप्त होती चली गयी तो इसके लिए अनुच्छेद 370 और कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि नेशनल कान्फ्रेंस के सदस्य पूछ रहे थे कि अनुच्छेद 370 हटने से क्या होगा? नामज़ाल ने किसी का नाम लिये बिना कहा कि इससे दो परिवारों की रोजी रोटी चली जाएगी। जबकि कश्मीर का भविष्य उज्वल होने वाला है। उन्होंने कहा, दो परिवार कश्मीर के मुद्दे का समाधान नहीं चाहते।

का, आर्टिकल 370 के बाद सिविल कोड की तैयारी?

नई (यू) की राज्यसभ भागलपुर लगने वा घोषित व परवीन मामले व भागलपुर गंगा न किलोमी शिव पर तक च विदेश हे कारण है। शिव के साथ देते हुए शुक्राव चिन्ताज की कोशिश कर चुकी है। हालांकि, बाकी दोनों विधेयकों की तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी काफी विरोध और विवाद का सामना करना पड़ा। अब जब एक बार फिर इसे लेकर सुगबुगाहट होने लगी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता का मतलब है, भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक (सिविल) कानून। ऐसे कानून दुनिया के अधिकतर विकसित देशों में लागू हैं। हालांकि, भारत में भारत में अलग-अलग धर्मों के रीति-रिवाज और परंपरा के आधार पर बने कई पर्सनल लॉ हैं। ये पर्सनल लॉ शादी, तलाक, विरासत और गुजारा भत्ता जैसे मामलों में लागू होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का

प्रयास करेगी लेकिन इसे लागू करना उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। आजादी के बाद न्यायपालिका या विधायिका के जरिए कई बदलाव आए। जैसे हिंदू महिलाओं को हाल में बहुत से अधिकार अलग-अलग कानूनों के जरिए मिले, जिनमें कुछ इस्लाम और ईसाइयत में पहले से मौजूद थे। ऐडवोकेट एमएस खान ने बताया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अगर बात की जाए तो नियम है कि 3 बार तलाक, तलाक, तलाक कहने से तलाक दिया जा सकता है। नियम के तहत निकाह के वक्त मेहर की रकम तय की जाती है। तलाक के बाद मुस्लिम पुरुष तुरंत शादी कर सकता है लेकिन महिला को 4 महीने 10 दिन तक यानी इहत-पीरियड तक इंतजार करना होता है।

कर नेकां सांसद डी प्रतिक्रिया

क तथ्यों के खिलाफ है और बाही से निकाला जाना चाहिए। मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों और अनुच्छेद 370 की धाराओं को हटाने से जुड़े

कार्यपालिका की शक्तियों के दुर्ने जम्मू-कश्मीर को बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर और आतंकवाद दिया: भाजपा

नई दिल्ली, (भाषा)। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराएं हटाने और राज्य Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1993)

करने के केंद्र सरकार के कदम को आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता

प्रतिनिधि संविधान जम्मू-कश्मीर से हटाने और राज्य को



है कि जब राज्य की बेटी का विवाह किसी अन्य प्रांत में होता है तब उसके अधिकार चले जाते हैं। यह कैसी बात है।

केन्द्र सरकार के फैसले का सही लाभ वहां के लोगों को आगे मिलेगा: मायावती

लखनऊ, (बीएन)। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार के फैसले का लाभ वहां के लोगों को मिलेगा और इससे पूरे देश में बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के बौद्ध अनुयाई बहुत खुश हैं। उन्होंने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा, संविधान का सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय की मंशा को देश भर में लागू करने हेतु जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा सम्बंधी धारा 370 व 35ए को हटाने की मांग काफी लम्बे समय से थी। अब बीएसपी उम्मीद करती है कि इस सम्बंध में केंद्र सरकार के फैसले का सही लाभ वहां के लोगों को आगे मिलेगा। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा, इसी प्रकार, जम्मू-कश्मीर के लेह-लदाख को अलग से केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किए जाने से खासकर वहां के बौद्ध समुदाय के लोगों की बहुत पुरानी मांग अब पूरी हुई है, जिसका भी बीएसपी स्वागत करती है। इससे पूरे देश में विशेषकर बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के बौद्ध अनुयाई काफी खुश है।

SUPRANEET FINANCE AND CONSULTANTS LIMITED
 Regd. Office: C-55/2, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110 052
 Ph: 011-42952500, Fax: 011-27377373
 E-Mail: info@sfcindia.com
 Website: www.sfcindia.com
 CIN : L65921DL1989PLC035261

NOTICE
 Notice is hereby given that, pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (the Listing, Regulations) that a meeting of the Board of Directors of the company will be held on **Wednesday, the 14th August, 2019 at 3:00 p.m.** at Regd. Office of the company, *inter-alia*, to consider & approve the unaudited Quarterly Financial Results for the First Quarter ended 30th June, 2019 and any other matter with the permission of chair. It is further notified in pursuance of Regulation 47(2) of the Listing Regulations that the further details may be accessed on Company's website (www.sfcindia.com) and may also be accessed on website of Metropolitan Stock Exchange (www.msei.in) Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the "Trading Window" for dealing in shares of the Company shall remain closed from 1st July, 2019 to 16th August, 2019 (both days inclusive), accordingly the "Trading Window" will be opened on 17th August, 2019.
 For Supraneet Finance & Consultants Ltd. Sd/- (Deepthi Jain)
 Place : Delhi Date : 06.08.2019 Company Secretary

नया सूचना
 अधिक रकम एचडीबी सफल रहे है। आपके उसके बाद, कम्पनी ने 2002 (अधिनियम) के नियम 3(1) के साथ नई सूचना प्रकाशित की जा को तिथि, सूचना में दाव
 1 न देहरादून-248001, गुरु नामक प्रोपर्टीज, रोहन कपूर, रूपा कपूर त खाता सं. 3193496 में और रु. 9000000 19-कोरू-12808114 आगे अनुबंधित ब्याज, राजा कनवाली देहरादून-हस्से। सत्यति धिरी है।
 अतिरिक्त राशि का उपरोक्त बाकी अधिनियम को धारा (ह के अनुच्छेद (13) के उ कूके बिना उपरोक्त कथित प्रो जाता है।
 स्थल सर्विसेज लिमिटेड हि प्राधिकृत अधिकारी

लीजिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.
 कार्यालय: प्लॉट नं. 66, सेक्टर-34, चण्डीपी, गुरुग्राम, हरियाणा
 L17100HR1983PLC033460
 नं. 011-26258237, 26253522,
 ईमेल: investstorelations@uilltd.com
 वेबसाइट: www.uilltd.com
 कम्पनी सूचना
 प्रति एच विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाजारों एवं अन्य बाजारों) विनियम 2015 के विनियम 29 के तहत सूचित किया जाता है कि एनएचडी 29 इण्डस्ट्रीज लि. के निदेशक महल को 12 अगस्त 2019 को 12.00 बजे के पत्रोक्त कार्यालय 14 किमी. गुरुग्राम पटौदी रोड बुड सराय बीर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में मत को जमागी मिलने अथवा वोटों के साथ-साथ 30 019 को समाप्त तिमाही के लिए एकल एवं समंकि

रएलएफ लिमिटेड
 कार्यालय: 14 किमी. गुरुग्राम पटौदी रोड, बुड सराय बीर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), N: L74999HR1979PLC032747
 नं. 011-26258237, 49075251
 ईमेल: investstorelations@rifltd.com
 वेब: www.rifltd.com
 कम्पनी सूचना
 प्रति एच विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाजारों एवं अन्य बाजारों) विनियम 2015 के विनियम 29 के तहत सूचित किया जाता है कि रएलएफ लिमिटेड के निदेशक महल को 12 अगस्त 2019 को 12.00 बजे के पत्रोक्त कार्यालय 14 किमी. गुरुग्राम पटौदी रोड बुड सराय बीर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में मत को जमागी मिलने अथवा वोटों के साथ-साथ 30 019 को समाप्त तिमाही के लिए एकल एवं समंकि

Syndicate Bank Applicant
VERSUS
Sh. Ajay Pratap Singh & ORS. Defendants
D-3 Media Village Sahkari Awas Samiti Ltd.
 GH-01, Sector -PHI-04, Greater Noida, U.P.-201308.
 Whereas the above named applicant has instituted a case against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way Therefore, This notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal **17/08/2019 at 10:30 AM.**
 Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.
 Given under my hand and seal of this Tribunal on this the **16th day of May 2019.**
 By Order of this Tribunal
Assistant-Registrar
DRT-III, New Delhi

ASS LIMITED
 www.aisglass.com
 Complex, Ishwar Nagar, Mathura

गोवा में नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप में यवक गिरफ्तार